

न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) वाराणसी।

वाद संख्या 115
भागवत

सन् 2013

बनाम

सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधिनियम

आराजी मौजा देलहना परगना देहात अमानत

तहसील व जिला वाराणसी।

आदेश

प्रश्नगत प्रकरण में भागवत पुत्र हूबनारायण सिंह निवासी मौजा भदवर परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.04.2013 अन्तर्गत धारा ज०वि०अधि० पर तहसीलदार सदर वाराणसी के निर्धारित प्रारूप पर आख्या आहूत की गयी। तहसीलदार सदर द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल/रा०नि०/ना०तह० से विधिवत परीक्षण कराकर उनकी जांच आख्या क्रमशः दिनांक-12/13/14-05-2013 मय निर्धारित प्रारूप सहित दिनांक 25.05.2013 को अग्रसारित करते हुए अपनी आख्या इस न्यायालय में उपलब्ध करा दिया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम देलहना परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी के आ० नं० 739 रकबा 0.139 हे०, भूमि सरकारी अभिलेख में भागवत पुत्र हूबनारायण सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि चहारदिवारी से घिरी है व निर्माण किया गया है, एवं कृषि कार्य नहीं किया जाता है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी फ० वर्ष 1416-1421 एवं तहसीलदार सदर द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल/रा०नि०/ना० तह० की जांच आख्या क्रमशः दिनांक 12/13/14-05-2013 मय निर्धारित प्रारूप सहित दिनांक 25.05.2013 का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि संदर्भगत प्रकरण में आवेदक भागवत पुत्र हूबनारायण सिंह निवासी मौजा भदवर परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी स्थिति आ०नं० 739 रकबा 0.139 हे०, भूमि राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त भूमि चहारदिवारी से घिरी है एवं भूमि पर कृषि का उपयोग नहीं हो रहा है।

अतः मौजा देलहना परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी में स्थित आ० नं० 739 रकबा 0.139 हे०, भूमि अकृषिक घोषित किया जाता है। इस आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार सदर/उप निबन्धक वाराणसी को प्रेषित किया जाए। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



for

(अरुण कुमार शुक्ल)

उपजिलाधिकारी सदर

वाराणसी।

25/5/13